

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2016/206

दिनांक:- 6-5-16

आदेश

गण्डल की 230वीं बैठक दिनांक 01.04.16 को बिन्दु संख्या 230.21 में लिये गये निर्णयानुसार जयपुर शहर योजनाओं के निरस्त व अनावंटीत फ्लेटों को खुली ब्रिकी योजना के माध्यम से निस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। खुली ब्रिकी योजना (नगद भुगतान पद्धति) द्वारा निस्तारित किये जाने वाले फ्लेटों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	आय वर्ग	अपार्टमेंट का नाम	फ्लेट संख्या	कुल योग
1	EWS	सेक्टर-29 (जी+3)	29-G-8, 29-H-7, 15, 29-J-7, 15, 29-K-9, 12, 29-L-3, 9, 15, 29-M-12, 13, 29-N-5, 8, 14, 15, 29-P-3, 7, 9, 14, 29-Q-1, 7, 10, 12, 14, 29-R14, 29-S-10, 11, 14, 29-T-9, 15, 29-U-14, 15, 29-V-10, 29-W-12, 13, 14, 16, 29-X-5, 9, 15, 16, 29-Y-6, 11, 12, 16, 29-Z-2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 29-C-3, 12, 34, 50, 75, 29-D-12, 63, 118, 29-E-23, 29-K-16	63
	LIG	गोदावरी अपार्टमेंट,	I-23 = 01	247
		अलकन्दा अपार्टमेंट,	9-GH-L-13-12 = 02	
		सतलज अपार्टमेंट LIG(G+3),	28/ST/L/16, 28/ST/L/26, 28/ST/L/32, 28/ST/L/86, 28/ST/L/101, 28/ST/L/108, 28/ST/L/122, 28/ST/L/139, 28/ST/L/143, 28/ST/L/227, 28/ST/L/262, 28/ST/L/300, 28/ST/L/312, 28/ST/L/316, 28/ST/L/330, 28/ST/193, 194, 195, 196, 338, 339, 340, 354, 355, 369, 370, 371, 372, 385, 386, 387, 388, 401, 402, 403, 404	
		प्रताप अपार्टमेंट	LA/104, 204, 209, 210, 304, 312, 314, 403, 405, 413, 414, 416, 418, 420, 505, 513, 518, 520, 610, 617, 709, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 720, 809, 810, 811, 812, 813, 815, 817, 819, 905, 909, 911, 912, 913, 914, 916, 919, 1004, 1005, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1019, 1020, LB/128, 202, 206, 210, 218, 219, 303, 307, 316, 322, 402, 403, 404, 412, 418, 419, 503, 504, 509, 515, 517, 519, 522, 523, 528, 530, 533, 601, 602, 609, 611, 613, 614, 616, 617, 622, 623, 629, 633, 634, 701, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 727, 728, 729, 731, 733, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 824, 827, 828, 831, 832, 833, 901, 902, 904, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 924, 925, 927, 929, 931, 933, 1006, 1007, 1011, 1012, 1015, 1022, 1023, 1024, 1025, 1029, 1030, 1032, 1033, LC/ 124, 224, 226, 310, 314, 413, 414, 423, 509, 511, 525, 609, 623, 624, 625, 626, 709, 714, 724, 725, 809, 810, 814, 821, 822, 826, 909, 912, 913, 922, 924, 1009, 1010, 1011, 1013, 1014, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026 82/349, 503, 603	
	MIG-A	गोदावरी अपार्टमेंट	29/A/8, 45, 29/L/12, 29/M/6, 18 Total= 5	47

(Handwritten Signature)

99/4R 2P En 40

		प्रताप अपार्टमेन्ट	MA-1/103, 109, 115, 203, 302, 404, 409, 415, 506, 602, 615, 806, 904, 908, 912, 913, 1014, 82/208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, MA-2/101, 110, 212, 311, 405, 705, 709, 710, 806, 907, 910, 1003, 1011, 1012	
	MIG-B		18/B/24, 18/C/1, 13, 18/G/2, 7, 52/N/13, 23, 52/565 MB-2/207, 905, 1007, 110/C/56 (GF)	12
	HIG	प्रताप अपार्टमेन्ट	52/213, 214, 217, 221, 225, 228 HE/ 503, 603, 703, 903, 1003, HA/ 202, 505, 601, 803, 1004, HE/ 105, 205, 301, 304, 504, 705, 803, 805, 905,	96
		मेवाड अपार्टमेन्ट	HD/202, 101, 104, 403, 703, HE/107, 202, 203, 308, 403, 406, 603, 607, 702, 703 A/402, 102, 703, 706, B/303, C/606, 607 26/H/B4/904, 1008, 110/A/61, 62, 15, 16, 29, 30, 41, 63, 64, 66, 33, 44, 45, 69, 24, 60, 71, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,	
			TOTAL	465

उक्त फ्लेटों का निस्तारण निम्न शर्तों पर किया जावे :-

1. आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट्स खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. उक्त फ्लेटों का पूर्व में यदि नीलामी से निस्तारण के प्रयास विफल रहे हो एवं फ्लेटों का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विधिवत् निरस्त किये गये हैं।
6. अलग-अलग प्रस्तावों पर उक्त फ्लेट/आवासों में से कोई भी आवास/फ्लेट की स्वीकृति पूर्व में जारी की जा चुकी है तो तत्काल अद्योहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में लाकर निरस्त करवाने के उपरान्त ही निस्तारण करें।
7. खुली बिक्री योजना से संबंधित सभी आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
उक्त आदेशों को नोट शीट पैरा संख्या 34/एन पर माननीय आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त -प्रथम, रा0आ0म0 जयपुर।
7. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड, रा0आ0म0 जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

सम्पदा प्रबंधक (मु0)